



सत्यमेव जयते

अंक : 9 संख्या : 3

बुधवार, 20 फरवरी, 2008

बारहवीं

राजस्थान विधान सभा

की

कार्यवाही का वृत्तान्त

(नवम् सत्र, 2008)

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

जयपुर

## विषय-सूची

बुधवार, 20 फरवरी, 2008

विषय	पृष्ठ संख्या
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आयोजना	
बीमारू राज्य के मानदण्ड	
-डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	100
ऊर्जा	
टिब्बी के स्वीकृत ग्रिड सब स्टेशन	
-श्री धर्मन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)	132
रावतभाटा एटोमिक परियोजना से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग	
-डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)	129
कार्मिक	
केन्द्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों की निजी संस्थानों में प्रतिनियुक्ति	
-श्री निर्भय-लाल (रूपवास)	98
दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जांच हेतु पैतृक विभाग की अनुशंसा	
-श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)	94
श्रीगंगानगर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के रिक्त पद	
-श्री गुरजट सिंह बराड़ (सगरिया)	100
कृषि विपणन	
कृषि विपणन बोर्ड में कार्यरत कार्मिकों के परियोजनाओं को आबंटित निर्माण कार्य	
-श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	167

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में निजी कम्पनियों द्वारा की गई खरीद से प्राप्त राजस्व -श्री भरत सिंह (दीगोद)	168
<b>खेल</b>	
कोटा संभाग में प्रस्तावित खेल स्टेडियम -श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	119
बीकानेर जिले में खेल स्टेडियम निर्माण पर व्यय -श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	116
श्री झुंजरगढ़ के विद्यालयों में खेल स्टेडियम पर व्यय -श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीझुंजरगढ़)	121
<b>ग्रामीण विकास</b>	
कुशलगढ़ में ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत आबंटित आवासों का लम्बित भुगतान -श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)	166
जायल (नागौर) पंचायत समिति क्षेत्र की बी.पी.एल. सूचियों की पुनरीक्षण -श्री जयराम जाटव (खैरथल)	166
नवलगढ़ में सांसद/विधायक स्थानीय विकास कोष से स्वीकृत कार्य -श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)	152
मिड-डे मील योजनान्तर्गत जिलेवार आबंटित सामग्री -श्री संयम लोढा (सिरोही)	152
<b>डेयरी एवं पशुपालन</b>	
अजमेर शहर में महिलाओं हेतु आबंटित डेयरी बूथ/पार्लर -श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)	136
तारानगर विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद -डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	132

विषय	पृष्ठ संख्या
पशु चिकित्सालयों का कार्यशील समय -श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी)	135
<b>नगरीय विकास एवं आवासन</b>	
जयपुर विकास प्राधिकरण के खसरा नम्बर 133 व 136 (जल महल की भूमि पर अतिक्रमण)	
-श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)	115
जयपुर शहर में ओवर ब्रिज/पुलियाओं का लम्बित निर्माण कार्य	
-श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	105
नारायण विहार आवासीय योजना जयपुर के भूखण्डधारियों को कब्जा	
-श्री अमराराम (धोद)	113
<b>पंचायती राज</b>	
पंचायतों का पुनर्गठन	
-श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	137
<b>महिला एवं बाल विकास</b>	
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्थायीकरण	
-श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारंची)	147
निवाई में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र	
-श्री हीरालाल (निवाई)	146
बाल विवाह रोकने हेतु कार्य योजना	
-श्री लालचन्द कटारिया (आमेर)	138
<b>यातायात एवं परिवहन</b>	
नागौर क्षेत्र में संचालित विभिन्न आगारों की किराया राशि में भिन्नता	
-श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	149
परिवहन विभाग में प्रयुक्त प्रपत्रों का हिन्दी रूपान्तरण	
-श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)	151

विषय	पृष्ठ संख्या
पाणी-चाणोद-अहमदाबाद हेतु निगम बस सेवा -श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	150
<b>वित्त</b>	
मंत्रालयिक/सहायक संवर्ग कर्मियों के वेतन संशोधन हेतु गठित समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन -श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई)	83
राज्यकर्मियों के यात्रा/विश्राम भत्तों का पुनर्निर्धारण -डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	83
राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि लेखों की वेबसाइट पर उपलब्धता -डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	84
<b>शिक्षा</b>	
उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों का अध्यापन -श्री शांतिलाल चपलोट (मावली)	126
उदयपुर जिले में सर्वशिक्षा अभियानान्तर्गत करवाये गये निर्माण कार्य -श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण)	126
बूंदी जिले के विद्यालयों में रिक्त पद -श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)	122
भरतपुर एवं कोटा जोन में शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रभारी के पद पर नियम विरुद्ध पदस्थापन -श्री मदन मोहन सिंघल (कामां)	123
भीलवाड़ा जिले के पैराटीचर्स का नियमितीकरण -श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)	125
स्कूली व्याख्याताओं एवं प्रधानाध्यापकों के वेतन/पदोन्नति में विषमता -श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)	124

विषय	पृष्ठ संख्या
<b>सामान्य प्रशासन</b>	
जयपुर में आयोजित रैली/सभा पर व्यय	
-श्री रामनारायण मीणा (नैनवा)	84
माननीय मुख्य मंत्री की विदेश यात्राओं पर व्यय	
-श्री संयम लोढा (सिरोही)	89
राज्य के सर्किट हाउसों में कार्यरत कर्मियों के नाम विद्युत/जल सम्बन्ध	
-श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	86
<b>स्वायत्त शासन</b>	
चौमूं में खेल स्टेडियम हेतु भूमि का आरक्षण	
-श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	115
नगर निगम (जयपुर) में पार्षद कोटे से स्वीकृत विकास कार्य	
-श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	105
नगरपालिका राजगढ़ (चूरु) में सफाई कर्मियों के रिक्त पद	
-श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)	101
बारां जिले की नगरपालिकाओं द्वारा वित्तीय सस्थाओं से प्राप्त ऋण	
-श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारा)	101
<b>तारांकित प्रश्नोत्तर</b>	
<b>ऊर्जा</b>	
बीकानेर जिले में विद्युत उपकरण चोरी से बाधित विद्युत आपूर्ति	
-श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	36
राज्य में विद्युत उपभोग हेतु खरीद एवं आपूर्ति	
-श्री गजेन्द्र सिंह (नागौर), राज्य मंत्री	3
-श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)*	1
-श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)	5

विषय	पृष्ठ संख्या
सहाड़ा में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार	
श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)	71
<b>कृषि</b>	
राजगढ़ (चूरु) के काश्तकारों को उन्नत बीज की उपलब्धता	
श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)	80
<b>कृषि विपणन</b>	
शक्करगढ़-बरौदा (भीलवाड़ा) काजवे का नवीनीकरण	
श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर)	35
<b>खेल</b>	
प्रताप स्टेडियम निवाई (टोंक) का विकास	
श्री हीरालाल (निवाई)	78
<b>ग्रामीण विकास</b>	
इंदपालसर सांखलान (श्रीझंगरगढ़) में अंकेक्षण समिति का गठन	
श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीझंगरगढ़)	34
पाटिया गलिया ग्राम पंचायत (बांसवाड़ा) में रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार	
श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)	67
बांसवाड़ा जिले में किसान फार्मपोर्ट योजना हेतु निविदा	
श्री अर्जुन सिंह बामनिया (दानपुर)	78
<b>डेयरी एवं पशुपालन</b>	
भीलवाड़ा जिले में पृथक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना	
श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	67
<b>नगरीय विकास एवं आवासन</b>	
आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों में भूकम्प विरोधी तकनीक	
श्री जीतराम (मालपुरा)	78

विषय	पृष्ठ संख्या
नगर विकास न्यास भीलवाड़ा निजी खातेदारी की आवासीय योजनाओं का नियमन -श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा)	61
<b>पर्यटन</b>	
विभिन्न पर्यटन स्थलों की निजी कम्पनियों को स्वीकृत लीज -श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	53
<b>महिला एवं बाल विकास</b>	
डेगाना विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में व्याप्त अनियमितताएं -श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	28
<b>वन</b>	
अंता (बारां) में वन्य जीवों द्वारा फसल क्षति पर रोक हेतु कार्य योजना -श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)	60
वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में सड़क निर्माण में प्रतिबन्ध पर राहत -श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	32
<b>शिक्षा</b>	
देसूरी में प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्य -श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)	53
सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि -डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	22
-श्री जुबेर खान (रामगढ़)	22
<b>श्रम एवं नियोजन</b>	
अक्षत योजनान्तर्गत लाभान्वित बेरोजगार -श्री लालचन्द्र कटारिया (आमेर)	71
-श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	71
विश्वकर्मा पेन्शन योजनान्तर्गत लाभान्वित श्रमिक -श्री अमराराम (धोद)	29



विषय	पृष्ठ संख्या
स्वायत्त शासन	
जयपुर ग्रामीण में सीवर लाइन परिवर्तन कार्य	
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	33
विधेयक का पुरःस्थापन	
राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008	
श्री रामनारायण झुडी (बिलाड़ा)*, मंत्री	18
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
आबकारी	
आबकारी विभाग की अधिसूचना	
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर)*, मंत्री	18
सार्वजनिक निर्माण	
सार्वजनिक निर्माण विभाग की अधिसूचना	
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरु)*, मंत्री	18

---

प्रयुक्त संकेताक्षर

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9]

बारहवीं विधान सभा के नवें सत्र का तीसरा दिवस

[संख्या : 3

बुधवार;

20 फरवरी, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: राम-राम साहब, राम-राम।

अनेक माननीय सदस्य: जय राम जी की।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न संख्या 20।

## तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री संयम लोढा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कल से गतिरोध बना हुआ है।

### राज्य में विद्युत उपभोग हेतु खरीद एवं आपूर्ति

20. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में हुई उत्पादन वृद्धि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में विद्युत आपूर्ति में भी वृद्धि हुई है। यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में की गई विद्युत आपूर्ति का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में आवश्यकतानुरूप विद्युत खरीद भी करनी पड़ती है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में की गयी विद्युत खरीद का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य में विगत दस वर्षों में कृषि एवं घरेलु विद्युत दरों में वृद्धि की गयी है? यदि हां, तो कब-कब? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री संयम लोढा (सिरोही): सदन की नेता एक मिनट के लिये हाउस में नहीं आयी हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल चलने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए सदन की नेता हाउस में नहीं आयी हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वही तो सवाल कर रहे हैं ...(व्यवधान) आपके नेता को बोलने दें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पहले प्रश्नकाल चलने दीजिये ... (व्यवधान) प्रश्नकाल चलने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बहस करने का कोई मतलब नहीं समझ में आता है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है कि आप प्रश्नकाल पहले चलने दीजिये ...(व्यवधान) प्रश्नकाल चलने दीजिये ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सदन की नेता चूंकि राजस्थान की वित्त मंत्री भी हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिये ...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं ... (व्यवधान) हां, बोलें ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पहला सवाल है बिजली का, बिजली संबंधी सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, फिर बात करेंगे ...(व्यवधान) आपको मौका मिलेगा ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कांग्रेस के लोग ...(व्यवधान) हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता, प्रतिपक्ष बोलना चाहते हैं पहले। स्थान ग्रहण कीजिये, बीच में नहीं बोलें ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब सुनने दें ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): x x x

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): x x x

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): x x x

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): x x x

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में गतिरोध बना हुआ है ...(व्यवधान) गतिरोध दूर करने के लिए हाउस को आर्डर में लायें, फिर हाउस चलेगा ...(व्यवधान)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी हां। विगत पांच वर्षों में राज्य को 1871.52 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध हुई है जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। 1 जनवरी, 2003 को राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 4520.42 मेगावाट थी जो अब बढ़कर 6391.94 मेगावाट हो गई है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): x x x

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप व्यवस्था दीजिये, उसके बाद में हाउस चलेगा। आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हाउस तो आर्डर में है ही नहीं, कल भी पूरा दिन ऐसे ही गया और आज भी अगर आपकी तरफ से ...(व्यवधान)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): 1 जनवरी, 2003 को राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 4520.42 मेगावाट थी जो अब बढ़कर 6391.94 मेगावाट हो गई है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हाउस कैसे चलेगा ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): x x x

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): x x x

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल चलने दीजिये, प्रश्नकाल चलने दीजिये माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): (2) जी हां। राज्य में वर्ष 2003 में 2546 करोड़, वर्ष 2004 में 2939 करोड़, वर्ष 2005 में 3103 करोड़, वर्ष 2006 में 3222 करोड़ व वर्ष 2007 में 3467 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति की गयी है।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

(3) जी हां। रबी की फसल के लिये किसानों को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार विद्युत खरीदनी पड़ती है। वर्ष 2003 में 7 करोड़, वर्ष 2004 में 55 करोड़, वर्ष 2005 में 61 करोड़, वर्ष 2006 में 72 करोड़ तथा वर्ष 2007 में 141 करोड़ यूनिट की खरीद की गयी है।

(4) जी हां। गत 10 वर्षों में कृषि एवं घरेलू श्रेणी की विद्युत दरों में तीन बार वृद्धि की गयी जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। वर्ष 1999 तथा 2001 में कृषि एवं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की दरों में वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर डाला गया था परन्तु दिसम्बर, 2004 में बढ़ी हुई कृषि एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं की दरों का समस्त भार राज्य सरकार ने वहन किया है और इस हेतु रुपये 1114 करोड़ का पुनर्भरण विद्युत कम्पनियों को 2004-05 से 2007-08 तक किया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है, इस योजना से ... (व्यवधान) आप कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे, राजस्थान का बिजली विभाग कब तक अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा, मंत्री जी कृपया जवाब दें। जब केन्द्र से पूरा असहयोग हो रहा है जब केन्द्र से सहयोग नहीं मिल रहा है तो आप कब तक अपने पैरों पर खड़े हो जायेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अगला प्रश्न बोलें... (व्यवधान)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की विद्युत दरों में हमारी सरकार ने कोई भी वृद्धि नहीं की है, पिछली सरकार ने ... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): तीन महिनों में खड़ी हो जायेगी सरकार अपने स्तर पर।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): कांग्रेस ने 80 प्रतिशत किसानों की बिजली के भाव बढ़ाये, हमारी सरकार ने अभी तक एक भी नया पैसा नहीं बढ़ाया है और हमारा विचार भी नहीं है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 23.

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी जारी)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या राज्य सरकार बिजली की दरें बढ़ायेंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ना बढ़ायी है और ना बढ़ायेंगे।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चार साल में एक नया पैसा नहीं बढ़ाया है किसानों का और इस वर्ष भी हम कोई भी भार किसानों पर नहीं डालेंगे।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी जारी)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): धन्यवाद।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय मंत्री जी यह बतायें कि भारत सरकार ने राजीव गांधी विद्युतिकरण में कितना पैसा दिया और अगर नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया? भारत सरकार ने राजीव गांधी योजना में एक पैसा भी नहीं दिया, इस कांग्रेस की भारत सरकार ने।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी जारी)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी 33 योजनाओं में से खाली 17 योजनाओं को स्वीकृति मिली है और उसकी भी हमें पूरी राशि नहीं मिली है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया ... (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): हमारी सरकार बिजली में कौनसे साल तक आत्मनिर्भर हो जायेगी ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक साढ़े 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.08 बजे 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(12.30 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं स्थगन प्रस्ताव पढ़ कर सुना रहा हूँ। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पहले व्यवस्था कीजिए कि स्थगन प्रस्ताव होगा या स्थगन होगा। ...(व्यवधान)... यह सदन चलेगा नियम और कानून के अन्तर्गत ...(व्यवधान)... ।

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। ... (व्यवधान)... आप बात तो सुनिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान)... यह सदन नियम और कानून के अन्तर्गत चलेगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: जोशीजी, बात सुनिए। ...(व्यवधान)... आपस में सहमति बन रही है, बातचीत हो रही है इसलिए सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.32 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

(13.02 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रही हूँ कि दो दिन से हाउस को जिस हालत में रखा हुआ है, जिस इश्यू के ऊपर हम लोग इस डेडलाक पर पहुंचे हैं उस इश्यू के ऊपर हमने हमारे ए.जी. साहब की ओपिनियन ली है। वह ओपिनियन बड़ी क्लीयरली हमारे सामने आई हुई है। मैं चाहती हूँ इस ओपिनियन को मैं टेबल आफ दी हाउस के ऊपर रखना चाहूंगी और साथ ही साथ मैं यह मानती हूँ कि एक दफे सब यह पढ़ लें और पढ़ने के बाद आपको फिर ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात है जिसको आप डिसकस करना चाहते हैं उसके लिए या तो हाउस के अंदर अपन डिसकस कर सकते हैं या बाहर भी हमारे चेम्बर में, या स्पीकर साहब के सामने हम इसको बैठकर डिसकस कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि इसमें ओपिनियन बहुत ही क्लीयरली निकला है उसको पढ़ने के बाद आप जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग करेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना से ज्यादा जरूरी यह है कि राजस्थान विधान सभा

(डा. सी पी. जोशी)

संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चले। संविधान के आर्टिकल 208 के अन्तर्गत राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम बने हुए हैं उन प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत..(व्यवधान)..

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): इसमें मैं क्लीयरली यह कहना चाहती हूं कि बहस करना चाहते हैं तो वहां से भी बहस हो जाए, यहां से भी बहस हो जाए। यह मैं टेबल पर रख देती हूं उसके बाद विचार करके उसके बाद अंदर हाउस में बहस करना चाहें या बाहर बैठना चाहें, जैसा आप करना चाहें वैसा करें, परन्तु आप उसकी व्यवस्था दे दें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार चलती है अपने बिजनेस रूल्स के अन्तर्गत, विधान सभा चलती है राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और नियम के अन्तर्गत। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत स्पीकर महोदय ने जो रूलिंग दी है उस रूलिंग के अन्तर्गत हम कोई सरकार की मर्सी पर नहीं हैं। ..(व्यवधान).. उपाध्यक्ष महोदय, सदन चलता है नियम और कानून के अन्तर्गत। नियम और कानून.. (व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन की नेता ने कहा दिया है कि सदन को चलाना चाहते हैं। राजस्थान की पांच करोड़ जनता देख रही है। हम सदन चलाना चाहते हैं। ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप अपनी मेजोरिटी से नियम और कानून को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। नियम और कानून का इंटरप्रीटेशन मेजोरिटी से नहीं होता। ...(व्यवधान).. नियम और कानून का इंटरप्रीटेशन .. (व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजस्थान का दौरा करें। ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत आप आसन को चलाने के लिए अधिकृत नहीं हैं। आप अधिकृत हैं संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत, आर्टिकल 208 के अन्तर्गत राजस्थान विधान सभा ने जो नियम बनाये हैं उन नियमों की बाध्यता से आप हाउस चलाते हैं, आप सरकार की मनमर्जी से नहीं चलाते। उन नियमों को आप जब तक अमेण्ड नहीं करेंगे तब तक जो रूल का प्रोविजन है उस रूल के प्रोविजन को



(डा. सी. पी. जोशी)

मानना पड़ेगा। रूल के प्रोविजन के अन्तर्गत स्पीकर महोदय ने रूलिंग दी है यहां पर ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मिनिस्टर हैं। इसका इंटरप्रिटेशन विधान सभा के अंदर है वही इंटरप्रिटेशन राइट होगा। रूल्स के अंदर तो सरकार करती रहे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे फिर निवेदन करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है उस पर राज्य सरकार खेद व्यक्त करे। ..(व्यवधान).. जब सरकार के नोटिस में आ गया कि यह गलत काम हो रहा है तो अमेण्डमेंट करना चाहिए सरकार को। सरकार अमेण्डमेंट भी नहीं करे ..(व्यवधान).. यह नियम और कानून के अंदर चलेगी। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी यह बताएं आज दिन तक हाउस असेम्बल होने तक आपने एडवोकेट जनरल की राय क्यों नहीं ली थी, आज ही अलग क्यों आया? दो दिन हाउस चला ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: अब बहस किस बात की ? यह बहस किस बात की ? ..(व्यवधान).. किस बात की बहस कर रहे हैं आप? माननीय सदस्य, यह बहस किस बात की है ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नियम और कानून बने हुए हैं, सरकार की मनमर्जी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम बहस के लिए तैयार हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपने अपनी बात कह दी। आपने कह दिया। इसमें क्या एतराज है? आपको एतराज क्या है इसमें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बहस के लिए तैयार हैं। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशी जी। आपने कह दी अपनी बात। आपने अपनी बात कह दी। कह दी अपनी बात। ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के अन्तर्गत सरकार यदि खेद व्यक्त करे ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें बाध्य न करें। आप सदन की गरिमा को बनाये रखें। सदन की गरिमा को बनाये रखने की जिम्मेदारी स्पीकर की है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य हमेशा सदन को गुमराह करने का प्रयास करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी। कह दी आपने अपनी बात। माननीय सदस्य, आपने कह दी अपनी बात। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप नियम और कानून से ऊपर नहीं हैं उपाध्यक्ष महोदय। ..(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये नहीं चाहते कि जनता के कोई मुद्दे हाउस में आये। कल्ला साहब नहीं चाहते।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही आगे चलाएं। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये किसी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रश्नकाल को भी इन्होंने खराब किया और जब सदन की नेता ने खुली चुनौती दे दी, तो इनमें हिम्मत है तो चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और चुनौती को स्वीकार करके भागना चाहते हैं, ये हंगामा करके समय बर्बाद करना चाहते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): विधान सभा नहीं चलेगी। विधान सभा नियम और कानून के अन्तर्गत चलेगी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, कोई जानकार पंडित से पतड़ा दिखवाकर यह पता करवाया जाए कि यह नया हाउस जबसे बना है इसमें गतिरोध ही रहा है। कोई जानकार पंडित से राय ले ली जाए कि यह गतिरोध कैसे समाप्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जब नियमों में अमेण्ड कर दिया ...(व्यवधान)... यह सारा मामला रूल्स कमेटी को रेफर कर दें। ... (व्यवधान)...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): यह राज अच्छा है या नहीं है यह जनता बताएगी, आपके बताने से नहीं होता है। ...(व्यवधान)... आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है ...(व्यवधान)... आपको तो आपकी पार्टी ने भी निकाल दिया। ..(व्यवधान).. आपकी पार्टी ने ही आपको ठुकरा दिया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वहां से ही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने सारी बात साफ-साफ कह दी।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): सरकार ने इस विषय पर राय हमारे समक्ष रख दी है।

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी। आप मेरी बात सुनें .. (व्यवधान)...

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, विधि विशेषज्ञ की राय सरकार ने हमारे समक्ष रखी है। ..(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: कांग्रेस जनता विरोधी पार्टी है। ..(व्यवधान)...

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): विधि विशेषज्ञ की राय आने के बाद सदन यह तो जाने कि वह राय क्या है। उस पर चर्चा की जा सकती है। ये गतिरोध दूर नहीं करके समय बर्बाद कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप रूल्स कमेटी को रेफर करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने सारी बात साफ कह दी है ..(व्यवधान).... सदन की नेता ने साफ कहा, यह जो एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट है, इस पूरे मामले में। ... (व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस बात पर। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात सुनेंगे, पहले बोल रहे हैं मंत्री आप उनके बोलने के बाद बोलो। माननीय सदस्य, मैंने पहले उनको अलाउ कर दिया। आप बात सुनिए। इसी बात की बहस हो रही है, आप सुनना नहीं चाहते। माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं, आपकी कोई बात अंकित नहीं होगी। माननीय सदस्य, पहले पार्लियामेंटरी मिनिस्टर खड़े हो चुके हैं और मैंने उनको अलाउ कर दिया। आपको मौका दिया जाएगा, बीच में नहीं। आप स्थान ग्रहण कीजिए, अंकित नहीं होगा यह।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता है कि प्रतिपक्ष विधान सभा से भागना चाहता है। यह पहली बार है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि प्रतिपक्ष विधान सभा में बहस सुनने को तैयार नहीं है। सदन की नेता ने स्पष्ट कह दिया, पूरे पांच करोड़ राजस्थान की जनता आज इस सदन की कार्यवाही की तरफ देख रही है। आज दो दिन हो गये, उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा विषय जो संविधान के प्रावधानों से जुड़ा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उस पर कानून है और कानून ...(व्यवधान)... एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट को टेबल किया है और उस रिपोर्ट के आधार पर उसके बाद भी अगर प्रतिपक्ष उसमें बहस करना चाहें, चाहे सदन में बहस करें, सदन के बाहर बहस करें, आपके वेश्म में बहस करें उसके लिए सत्ता पक्ष बिल्कुल तैयार है।

एक माननीय सदस्य: ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आगे का बिजनेस पुकारें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की नेता ने साफ साफ कह दिया बहस करना चाहें तो सदन में तैयार हैं, सदन के बाहर तैयार हैं, उसके बाद भी यह मुद्दा...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यदि माननीय सदस्य, बार-बार आप वही बात दोहरा रहे हैं, आपने बात कह दी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आप बिना परमिशन बोले हैं। आपको परमिशन नहीं दी, आपका कुछ अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आपने कह दी अपनी बात, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप बैठ जाइए, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बिना परमिशन बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। मैं परमिशन दूंगा, आप समय मांगें, आपको बहस

(शिक्षा मंत्री)

(2) जिलों को समेकित रूप से पूर्व निर्धारित गतिविधियों के लिये एक साथ राशि स्थानान्तरित की जाती हैं। वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार से अनुपातिक निर्धारित अंश पर राशि प्राप्ति होती है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से राशि विभिन्न किशतों में प्राप्त होती है, जिसका मदवार विभाजन नहीं होता है। वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि में से कोई राशि शेष नहीं है। वर्ष 2007-08 में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि 933.04 करोड़ रुपये में से जनवरी, 08 तक 623.67 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

वर्षवार एवं मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

## ACTIVITY WISE EXPENDITURE IN SARVA SHIKSHA ABHIYAN

(Rs.In lacs)

S. No.	Name of Activities	AWP & B 04-05	EXP. 04-05	Exp. Against Central Share	AWP&B 05-06	Total Exp. 05-06	Exp. Against Central Share	AWP&B 06-07	Exp. 06-07	Exp. Against Central Share	AWP&B 06-07	Exp. 07-08	Exp. Against Central Share
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Teacher salary-I	15699.240	7754.02	5815.51	32662.140	29688.378	22266.28	43418.480	37754.287	28315.72	80755.574	58610.830	38097.0394
2	Free Text Book for UPS SC/ST	409.173	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	466.440	478.860	359.15	739.776	598.387	388.95142
3	Civil Work	24162.614	18605.76	13954.32	29541.182	29503.113	22127.34	51788.040	49110.721	36833.04	31484.936	22142.485	14392.61533
4	Maintenacne & Repairs	2292.600	2057.45	1543.09	1463.700	1407.100	1055.32	2344.230	2311.645	1733.73	1067.217	1004.992	653.2447025
5	TLE	2699.656	1628.04	1221.03	2190.125	1345.876	1009.41	2647.730	2424.060	1818.04	4481.600	421.535	273.997763
6	Schcol Grant	628.740	532.38	399.29	630.000	600.117	450.09	1053.960	1040.788	780.59	1316.380	1264.070	821.6457405
7	Teachers Grant	736.320	563.67	422.75	690.000	662.923	497.19	538.940	576.451	432.34	1002.375	894.383	581.34882
8	Teachers Training	1977.460	994.66	746.00	2270.330	1255.425	941.57	1643.070	1573.967	1180.48	2983.771	1506.217	979.0408661
9	Training for Community Leaders	76.960	49.44	37.08	68.190	57.135	42.85	244.650	267.854	200.89	241.835	229.780	149.3571151
10	Provision for Disabled Children	374.632	160.43	120.32	411.890	402.916	302.19	1789.120	1589.20	1191.92	2006.258	985.901	640.8359003
11	Research, Evalua-tion, Supervision and monitoring	696.660	293.21	219.91	404.390	257.755	193.32	771.320	520.181	390.14	921.466	217.214	141.189009
12	Management Cost	2016.070	1234.71	926.04	2580.670	1855.531	1391.65	4082.340	2924.102	2193.08	5532.953	2733.476	1776.759588
13	Innovation	1095.000	639.68	479.76	1155.360	1020.180	765.14	1564.510	1149.746	862.31	1604.000	194.755	126.5909814
14	Block Resource Center	232.000	154.08	115.56	469.690	328.055	246.14	513.510	326.904	245.18	445.590	277.987	180.6917159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Cluster Resource Center	1337.230	220.02	165.02	1425.240	805.648	604.24	1455.620	1005.697	754.27	2819.999	1046.960	680.5242165
16	Interventions for out of School Children	7329.660	3701.30	2775.97	7353.230	5190.712	3893.03	9208.920	5909.049	4431.79	6147.270	2009.619	1306.252038
17	Management Cost (BRC/CRC/RP)			0.00			0.00	0.000	1668.102	1251.08	0.000	1810.629	1176.909024
	Total	61764.02	38588.86	28941.64	83316.14	74380.86	55785.65	123530.86	110631.63	82973.73	143545.000	95949.221	62366.99362
	Central Share As per	46323.00			62489.00			92648.00			93304.000		
	Central Share Received	23000.00			58829.00			75138.00			93304.000		
	Total Central From 2004-05 to 2006-07	156967.00											
	Expenditure upto 2006-07	167701.02											

तारांकित-20 फरवरी, 2008-प्रश्नोत्तर



## सर्व शिक्षा अभियान

वर्ष 2003-04 से 2007-08 (Dec. 07) तक प्रत्येक जिले को आबंटित राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	जिलों को राशि स्थानान्तरित वर्ष 2003-04	जिलों को राशि स्थानान्तरित वर्ष 2004-05	जिलों को राशि स्थानान्तरित वर्ष 2005-06	जिलों को राशि स्थानान्तरित वर्ष 2006-07	जिलों को राशि स्थानान्तरित वर्ष 2007-08	Total 03-04 to Jan. 08
S. No.	Name of District	Funds transferred in 03-04	Funds transferred in 04-05	Funds transferred in 05-06	Funds transferred in 06-07	Funds transferred in 07-08	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ajmer	743.87	1156.09	2184.39	2972.23	2880.00	9936.58
2	Alwar	1192.41	1123.03	3133.78	5483.04	3917.00	14849.26
3	Banswara	1168.07	1858.62	3161.90	5501.10	4770.00	16459.70
4	Baran	628.10	704.37	1874.65	2195.50	2446.00	7843.62
5	Barmer	1383.11	2337.66	4362.37	7179.24	7481.00	22743.38
6	Bharatpur	590.38	835.91	1755.72	2515.66	2218.00	7915.67
7	Bhilwara	824.72	1310.05	2148.80	3938.62	4120.00	12342.19
8	Bikaner	764.45	1120.62	2860.99	3605.02	3433.00	11784.08
9	Bundi	607.89	660.25	1040.74	1638.70	1775.00	5722.58
10	Chittorgarh	897.75	1572.56	3060.18	3586.15	4330.00	13446.64
11	Churu	561.57	521.99	1750.30	2320.88	1875.00	7029.74
12	Dausa	674.09	769.41	1443.14	2142.80	2170.00	7199.44
13	Dholpur	458.55	584.98	1358.72	1809.34	1750.00	5961.60



1	2	3	4	5	6	7	8
14	Dungarpur	677.78	1655.45	1970.03	3961.13	4070.00	12334.39
15	Ganganagar	884.78	649.17	1409.18	3346.74	2420.00	8709.87
16	Hanumangarh	615.97	688.82	1122.02	2421.27	1548.00	6396.09
17	Jaipur	1368.83	2079.25	3932.72	5037.04	5200.00	17617.83
18	Jaisalmer	393.15	989.39	1496.55	2717.80	2600.00	8196.89
19	Jalore	815.24	1339.49	2914.75	2991.17	4200.00	12260.66
20	Jhalawar	637.26	759.73	2115.98	2933.03	2872.00	9354.20
21	Jhunjhunu	687.26	963.74	2065.35	2694.49	2817.00	9227.84
22	Jodhpur	1391.24	2265.75	4393.97	5051.54	5685.00	18787.50
23	Karauli	566.55	725.83	1696.52	2185.74	2270.00	7444.64
24	Kota	424.12	564.93	1372.32	2041.10	2250.00	6652.46
25	Nagaur	1152.42	1822.02	3539.32	4678.29	5400.00	16592.05
26	Pali	759.51	1174.68	2945.59	3502.28	3172.00	11554.06
27	Rajsamand	698.70	1022.02	2315.38	2530.58	2940.00	9507.48
28	S. Madhopur	599.12	461.90	1321.10	2579.60	1620.00	6581.61
29	Sikar	874.52	1123.65	2744.77	3282.67	3530.00	11555.61
30	Sirohi	532.24	511.33	1269.84	2030.52	2270.00	6613.93
31	Tonk	584.96	644.29	1780.92	2513.31	2491.00	8014.48
32	Udaipur	1874.75	2143.58	4536.51	4868.66	6050.00	19473.50
	Total	26033.56	36141.37	75114.48	106255.25	106570.00	350114.66

तारिकित-20 फरवरी, 2008-प्रश्नोत्तर

## डेगाना विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में व्याप्त अनियमितताएं

22. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं एवं गत चार वर्षों में कितने केन्द्र खोले गये? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) संचालित केन्द्रों पर नामांकित बच्चों की संख्या कितनी है? कितना पोषाहार प्रतिदिन आबंटित व वितरित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान पोषाहार वितरण में अनेक स्थानों पर अनियमितताएं हुई हैं? यदि हां, तो कहाँ-कहाँ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गई व उसके नतीजे क्या रहे? दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में कुल 272 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 4 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। गत 4 वर्षों में कुल 77 नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) उक्त 276 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कुल 21,720 बच्चे पंजीकृत हैं। विभागीय नार्म्स के अनुसार प्रतिदिन प्रति लाभार्थी आबंटित एवं वितरित किये जाने वाले पोषाहार का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) विभाग को गत तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्र के तीन आंगनबाड़ी केन्द्रों (i) ग्राम मेवड़ा पंचायत समिति डेगाना (ii) ग्राम पिपलिया पंचायत समिति रियाबडी (iii) ग्राम लाडपुरा पंचायत समिति रियाबडी पर पोषाहार वितरण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई।

(4) उक्त अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच से संबंधित विस्तृत विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। संक्षिप्त में विवरण निम्नानुसार है -

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

आंगनबाड़ी केन्द्र (i) ग्राम मेवडा की प्राप्त शिकायत की जांच में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दोषी पाये जाने के कारण मानदेय सेवा से हटा दिया गया है।

आंगनबाड़ी केन्द्र (ii) पिपलिया, पंचायत समिति रियाबड़ी की प्राप्त शिकायत निराधार पायी गयी।

आंगनबाड़ी केन्द्र (iii) ग्राम लाडपुरा पंचायत समिति रियाबड़ी की प्राप्त शिकायत निराधार पायी गयी।

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

### विश्वकर्मा पेन्शन योजनान्तर्गत लाभान्वित श्रमिक

23. श्री अमराराम (धोद) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में असंगठित मजदूरों के लिए विश्वकर्मा पेंशन योजना कब से लागू की गई तथा इसके क्या मानदण्ड हैं?

(2) जनवरी, 2008 तक इस योजना में जिलेवार कितने श्रमिकों को लाभ दिया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) राज्य में असंगठित मजदूरों के लिए राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी पेंशन योजना 1 सितम्बर, 2007 से लागू की गई। इसके पात्रता के निम्न मानदण्ड हैं :-

1. इस योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई पुरुष या महिला जो राजस्थान का वास्तविक निवासी हो।
2. वह आवेदन देने की तारीख को कम से कम 7 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहा हो।
3. योजना की अनुसूची प्रथम (संलग्न परिशिष्ट "अ") में वर्णित किसी व्यवसाय अथवा नियोजन में कार्य कर रहा हो।
4. कोई भी सदस्य 60 वर्ष की आयु पर या 60 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु होने पर, जैसा भी मानला हो, योजना से बाहर माना जावेगा।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(2) (अ) जनवरी, 2008 तक राज्य में 5069 श्रमिकों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर सलग्न है।

(ब) जहां तक श्रमिकों को लाभ देने का प्रश्न है- चूंकि यह एक अंशदायी पेंशन योजना है अतः श्रमिक को इसका लाभ योजना की शर्तों के अनुरूप पेंशन हेतु निर्धारित अवधि के पूरा होने पर तथा वांछित अंशदान जमा कराने पर ही देय होगा।

(स) प्राप्त आवेदन पत्रों की जाच करके श्रमिकों के अंशदान को जमा कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही अमल में लाने हेतु विभागीय अधिकारियों को "प्राधिकृत" कर दिया गया है।

(द) इस योजना को त्वरित गति से लागू करने हेतु निजी क्षेत्र की कम्पनी IIMPS (Invest India Micro Pension System) को भी 11 जनवरी, 2008 को नियुक्त किया जा चुका है।

परिशिष्ट "अ"

#### प्रथम अनुसूची (नियम-2)

गैर संगठित क्षेत्र के व्यवसाय, जिन पर राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार (अंशदायी पेन्शन) योजना 2007 लागू है

क्र. सं.	व्यवसाय	क्र. सं.	व्यवसाय
1	रिक्शा चालक	11	बीड़ी कामगार
2	सभी प्रकार के थडी वाले	12	भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार
3	चर्मकार	13	धोबी
4	हमाल	14	दर्जी
5	टेक्सी ड्राइवर	15	कुम्हार
6	घरेलू नौकर	16	ठेला चालक
7	मोटर मैकेनिक	17	बढई
8	नाई	18	स्व-नियोजित इलेक्ट्रीशियन
9	मूर्तिकार एवं पत्थर तराशी	19	लौहार
10	दुकानों, होटलों एवं ढाबों पर कार्य करने वाले कामगार	20	सैनेट्री फिटिंग्स कामगार

**PROGRESS OF VISHWAKARMA PENSION SCHEME**

S. No.	NAME OF DISTRICT	NUMBER OF APPLICATIONS (UPTO 31-1-08)
1.	Ajmer	577
2.	Bhilwara	150
3.	Tonk	210
4.	Nagaur	35
5.	Bikaner	113
6.	Sri Ganganagar	100
7.	Churu	50
8.	Hanumangarh	120
9.	Jaipur	550
10.	Alwar	650
11.	Sikar	131
12.	Dholpur	150
13.	Bharatpur	135
14.	Dausa	136
15.	Jhunjhunu	101
16.	Jodhpur	135
17.	Jalore	100
18.	Pali	110
19.	Sirohi	70
20.	Jaisalmer	-
21.	Balotra (Barmer)	125
22.	Kota	305
23.	Sawai Madhopur	141
24.	Jhalawar	113
25.	Bundi	114
26.	Baran	100
27.	Karauli	50
28.	Udaipur	180
29.	Chittorgarh	99
30.	Banswara	59
31.	Rajsamand	100
32.	Dungarpur	50
Total		5069

## वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में सड़क निर्माण में प्रतिबन्ध पर राहत

24. श्री रामचन्द्र सराधना (जमआरामगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में उच्च/उच्चतम न्यायालय द्वारा किन-किन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में रहने वाले गरीब आदिवासी लोगों के आने जाने हेतु सड़क निर्माण की क्या कार्य योजना है?

(3) क्या यह सही है कि जिस क्षेत्र में वर्षों से ग्रेवल और डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्मित है और आवागमन के साधन आते जाते हैं उन कच्ची सड़कों पर पक्की सड़क बनाये जाने पर सरकार द्वारा रोक लगा दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार वन क्षेत्र के लोगों को इस कठिनाई से मुक्ति दिलाकर व्यावहारिक नजरिये से सड़क निर्माण पर लगी रोक हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो उसके लिए क्या वैकल्पिक योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14.2.2000 द्वारा वन्यजीव अभयारण्यों में से मृत, रोग ग्रस्त एवं हवा से गिरे पेड़ों को हटाने, बहकर आयी हुई लकड़ी एवं घास की निकासी को प्रतिबन्धित किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13.11.2000 द्वारा अभयारण्यों की भूमि का अनारक्षण करने पर रोक लगाई है।

इसके उपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.11.2005 एवं 14.09.2007 द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 14.2.2000 से लगाई गई रोक में कुछ गतिविधियों में छूट प्रदान की है।

(2) वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में विद्यमान गांवों को सड़क से जोड़ने हेतु प्राप्त प्रस्तावों में वांछित वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रत्यावर्तित कराया जाना आवश्यक होता है। किन्तु वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने से पूर्व राज्य वन्य जीव मण्डल, राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रस्तावों का अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। केन्द्र सरकार से प्रत्यावर्तन की अनुमति प्राप्त होने पर ही सड़क निर्माण की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।